Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मध्य प्रदेश में जुवेनाइल न्याय प्रणाली का कानूनी आलोचनात्मक विश्लेषण

मोहित श्रीवास्तव* योगेश वामंकर**

*** शोधार्थी, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बिलकिसगंज, सिहोर (म.प्र.) भारत**
**** एसोसिएट प्रोफेसर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बिलकिसगंज, सिहोर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – भारत में किशोर न्याय का समकालीन परिदृश्य महत्वपूर्ण चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, जिसमें बच्चों के खिलाफ अपराध और बच्चों द्वारा किए गए अपराध तेजी से चिंताजनक होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि राज्य में लगातार भारत में किशोर अपराधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश ने 2017 में 6,491 मामले, 2018 में 5,232 मामले और 2019 में 5,522 मामले दर्ज किए, जिससे यह भारत में बाल किशोरों से जुड़े सबसे बड़े अपराध अनुपात वाला राज्य बन गया। किशोर न्याय का उद्देश्य बच्चे के अधिकारों पर आधारित है और एक प्राथमिक उद्देश्य के रूप में रोकथाम पर केंद्रित है। हालाँकि, 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में क्रूर सामूहिक बलात्कार मामले ने वर्तमान कानून को बदल दिया, जिससे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बन गया। यह पत्र आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करता है कि मध्य प्रदेश में किशोर न्याय कैसे काम करता है, किस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, किन परिस्थितियों में बच्चे अपराध करने के लिए प्रेरित होते हैं, और इसके अनुरूप क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

शब्द कुंजी –किशोर न्याय, मध्य प्रदेश, कमीशन, अपराध, अधिनियम, अपराध आँकड़े।

प्रस्तावना – न्याय प्रणाली का विश्लेषण करने से पहले 'किशोर' शब्द को समझना आवश्यक है। यह 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को संदर्भित करता है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को मई 2015 में लोकसभा द्वारा और दिसंबर 2015 में राज्यसभा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 को निरस्त करते हुए पारित किया गया था।

धारा 2 (35) 'किशोर' को अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चे के रूप में परिभाषित करती है। धारा 2 (13) 'कानून के साथ संघर्ष में बच्चा' को एक ऐसे बच्चे के रूप में परिभाषित करती है जिस पर आरोप लगाया गया है या जिसने कोई अपराध किया है और जिसने इस तरह के अपराध की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। मध्य प्रदेश में, परिदृश्य विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि राज्य में पूरे देश में किशोर अपराध के मामलों की संख्या सबसे अधिक है। कुछ बच्चे अपने आसपास के समाज और परिस्थितियों के कारण अपराध का हिस्सा बन जाते हैं। गुमराह करने और उचित देखभाल प्रदान नहीं करने के कारण माता-पिता भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। बड़ी संख्या में 'कानून के साथ संघर्ष में बच्चे' सामाजिक-आर्थिक पीड़ित हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय, देखभाल और सुरक्षा के अधिकारों से वंचित हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – भारत में, 1960 से पहले किशोर अपराधियों की आयु सीमा के बारे में कोई एकरूपता नहीं थी। बॉम्बे बाल अधिनियम 1948 में, एक बच्चे का अर्थ था एक लड़का जिसने 16 वर्ष पूरे नहीं किए थे और एक लड़की जिसने 18 वर्ष पूरे नहीं किए थे।

1960 का बाल अधिनियम बच्चों और किशोर अपराधियों की सुरक्षा, कल्याण, शिक्षा, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 1986 के किशोर न्याय अधिनियम ने किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम नियमों का पालन किया। 2000 के किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांतों का पालन करना था।

दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में निर्भया की घटना ने किशोर न्याय के लिए एक दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाया। संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में बच्चों के अधिकारों पर एक संधि को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप किशोर न्याय अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया गया और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का निर्माण किया गया। 2015 के वर्तमान अधिनियम का उद्देश्य निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रशासन सुनिश्चित करते हुए देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास प्रदान करना है।

किशोर कौन है?

सरल भाषा में, एक किशोर एक ऐसा बच्चा है जिसने सही और गलत के बीच के अंतर को समझने के लिए परिपक्वता की आयु प्राप्त नहीं की है। कानूनी रूप से, एक किशोर एक नाबालिग है जिसकी एक निश्चित उम्र नहीं हुई है जिस पर उसे वयस्क जैसे आपराधिक कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015.2 (35) के अनुसार, एक किशोर का अर्थ है अठारह वर्ष से कम आयु का बच्चा और उसे विचारण और दंड के लिए वयस्क के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

किशोर भागीदारी में योगदान करने वाले कारकों में मस्तिष्क विकास के मुद्दे, शराब या ड्रग्स के संपर्क में आना, दुर्व्यवहार या हिंसा, खराब पालन-पोषण, मीडिया का प्रभाव और शिक्षा की कमी शामिल हैं।

रिपोर्ट विश्लेषण

मध्यप्रदेश में बाल किशोर रिपोर्ट – गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में अपराध पर जानकारी संकलित करता है। 2017–2019 के दौरान राज्यवार विवरण दिखाता है: मध्य प्रदेश में बाल किशोरों के खिलाफ दर्ज मामले:

2017 में 6491
2018 में 5232
2019 में 5,522

30 सितंबर 2025 के द हिंदू दैनिक समाचार पत्र के अनुसार, एनआरसीबी ने बताया है कि 2023 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1, 77,335 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 (1, 62,449 मामले) की तुलना में 9.2% की वृद्धि दर्शाते हैं।

अभिलेखों के अनुसार, मध्य प्रदेश में बाल किशोरों के खिलाफ भारत में सबसे अधिक अपराध अनुपात है, इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि–विरुद्ध बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है। यह अपराधों को छोटे, गंभीर और जघन्य में वर्गीकृत करता है। विशेष प्रावधान 16–18 वर्ष की आयु के जघन्य अपराध करने वाले बाल अपराधियों से निपटने के लिए हैं। यह अधिनियम किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, राज्य और जिला बालसंरक्षण इकाइयों, गृहों और गोद लेने, पालन–पोषण और प्रायोजन के माध्यम से गैर–संस्थागत देखभाल का प्रावधान करता है।

मध्य प्रदेश की किशोर न्याय प्रणाली का आलोचनात्मक कानूनी विश्लेषण

(क) संवैधानिक और कानूनी ढाँचे का विश्लेषण – मध्य प्रदेश में किशोर न्याय प्रणाली संवैधानिक अधिदेश के अंतर्गत संचालित होती है अनुच्छेद 15(3), जो राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 39(च), जो राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर प्रदान किए जाएँ। हालाँकि, मध्य प्रदेश के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण संवैधानिक उल्लंघन और वैधानिक गैर–अनुपालन का पता चलता है।

(ख) मध्य प्रदेश में कानूनी मुद्दे और वैधानिक उल्लंघन

1. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 8(3) का उल्लंघन: यह अधिनियम प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड के गठन का आदेश देता है। हालाँकि मध्य प्रदेश ने सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड स्थापित किए हैं, लेकिन इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरी जिलों में मामलों की अधिकता के कारण धारा 4 के तहत किशोरों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में किशोर न्याय बोर्ड की आवश्यकता का उल्लंघन हो रहा है।

2. धारा 47 (संरक्षण गृह) का पालन न करना: धारा 47 के अनुसार, संरक्षण गृहों में उचित आवास, शैक्षिक सुविधाएँ और व्यावसायिक प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत अत्यधिक भीड़भाड़ और घटिया सुविधाओं को दर्शाती है,जो वैधानिक प्रावधानों और अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार) का उल्लंघन है।

3. धारा 15 – बाल न्यायालय में स्थानांतरण (कानूनी अस्पष्टता): सबसे विवादास्पद प्रावधान किशोर न्याय बोर्डों को यह आकलन करने की अनुमति देता है कि क्या 16–18 वर्ष की आयु के किसी किशोर, जिसनेकोई जघन्य अपराध किया है, पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में, इस प्रावधान को असंगत रूप से लागू किया गया है:

1. जिलों में मानकीकृत मूल्यांकन प्रक्रियाओं का अभाव
2. प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का अभाव धारा 15(1) के तहत आवश्यक
3. प्रतिशोध के बजाय पुनर्वास के सिद्धांत का उल्लंघन
4. सलिल बाली बनाम भारत संघ (2013) में स्थापित सिद्धांतों का खंडन

4. अपर्याप्त विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ (धारा 107): धारा 107 सभी पुलिस जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना का आदेश देती है। मध्य प्रदेश में, अधिकांश जिलों में कार्यात्मक विशेष किशोर पुलिस

इकाइयों का अभाव है, जो वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है। नियमित पुलिस धारा 107(3) के तहत अनिवार्य प्रशिक्षण के बिना किशोर मामलों को संभालती है, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित जाँच और अधिकारों का उल्लंघन होता है।

5. धारा 18 (व्यक्तिगत देखभाल योजनाएँ) का उल्लंघन: अधिनियम में प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखभाल योजनाएँ अनिवार्य हैं। मध्य प्रदेश के संप्रेक्षण गृहों में, इस प्रावधान का शायद ही कभी पालन किया जाता है, जिससे बच्चों को व्यक्तिगत पुनर्वास से वंचित होना पड़ता है।

6. धारा 14 के तहत समय–सीमा का उल्लंघन: धारा 14 के अनुसार मामलों का निपटारा चार महीने के भीतर किया जाना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में, लंबित मामलों की औसत संख्या इस सीमा से काफी अधिक है, जिससे वैधानिक समय–सीमा का उल्लंघन होता है और लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ता है।

न्यायिक मिसालें और मध्य प्रदेश द्वारा अनुपालन न करना संपूर्ण

1. बेहरुआ बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने किशोर न्याय की पुनर्वासात्मक प्रकृति पर जोर दिया। मध्य प्रदेश द्वारा धारा 15 का कार्यान्वयन दंडात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देकर इसके विपरीत है।

2. सलिल बाली बनाम भारत संघ (2013): न्यायालय ने माना कि किशोरों के साथ वयस्कों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए चाहे अपराध की गंभीरता कुछ भी हो। मध्य प्रदेश द्वारा 16–18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा जघन्य अपराधों से निपटने का तरीका अक्सरइस सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

3. हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मामला (सीआरआर–1416–2024): जबलपुर पीठ ने किशोर अधिकारों के उल्लंघन से निपटा, और मध्य प्रदेश के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डाला।

सामाजिक–कानूनी विश्लेषण

1. उच्चतम अपराध दर – कानूनी निहितार्थ: मध्य प्रदेश का सबसे अधिक किशोर अपराधों वाला राज्य होना (2017 में 6,491, 2018 में 5,232, 2019 में 5,522) यह दर्शाता है कि राज्य अनुच्छेद 39(f) के तहत बच्चों की सुरक्षा के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफल

रहा है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

2. **शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन:** मध्य प्रदेश में कानून का उल्लंघन करने वाले कई बच्चे ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ अनुच्छेद 21A के तहत उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जिससे शैक्षिक अभाव और किशोर अपराध के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित होता है।

3. **सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन:** मध्य प्रदेश की उच्च गरीबी दर और बाल श्रम अनुच्छेद 23, 24 और 39(e) के उल्लंघन का संकेत देते हैं, जिससे बच्चों को अपराध की ओर धकेलने वाली स्थितियाँ पैदा होती हैं।

मध्य प्रदेश में प्रक्रियात्मक उल्लंघन

1. **कानूनी सहायता का अभाव:** धारा 12 किशोरों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का आदेश देती है। मध्य प्रदेश में, किशोर न्याय में प्रशिक्षित वकीलों की कमी के कारण इसका कार्यान्वयन अपर्याप्त है।

2. **परिवार की भागीदारी:** धारा 13 के अनुसार, कार्यवाही के दौरान माता-पिताध्अभिभावकों की भागीदारी अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में, इसकी अक्सर उपेक्षा की जाती है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

3. **गोपनीयता का उल्लंघन:** धारा 74 किशोरों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाती है। मध्य प्रदेश में मीडिया रिपोर्टिंग अक्सर इस प्रावधान का उल्लंघन करती है, जिससे कलंक लगता है।

संस्थागत विफलताएँ - कानूनी परिप्रेक्ष्य

1. **बाल कल्याण समितियाँ (धारा 27-28):** मध्य प्रदेश की बाल कल्याण समितियों को संरचनात्मक कमियों का सामना करना पड़ता है - अपर्याप्त सदस्य, बुनियादी ढाँचे का अभाव, और किशोर न्याय बोर्ड के साथ अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ,जिससे मामलों के निपटान में कानूनी अस्पष्टताएँ पैदा होती हैं।

2. **निरीक्षण और निगरानी (धारा 54):** अधिनियम के तहत अनिवार्य वैधानिक निरीक्षण समितियाँ मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में निष्क्रिय हैं, जो जवाबदेही प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।

3. **पश्चात देखभाल (धारा 46):** मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पश्चात देखभाल संगठनों का पूर्ण अभाव मुक्ति के बाद पुनर्वास के लिए वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करता है।

मध्य प्रदेश में बदलाव की आवश्यकता

आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश बाल किशोरों के विरुद्ध सबसे अधिक अपराधों के मामले में प्रथम श्रेणी में है। कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिएरू

1. **बच्चों और अभिभावकों की परामर्श:** सभी जिलों में परामर्श केंद्र स्थापित करें जहाँ अभिभावक और बच्चे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

2. **बच्चों और शिक्षकों के बीच परामर्श:** स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाता होने चाहिए ताकि जोखिम वाले बच्चों की शीघ्र पहचान हो सके।

3. **जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक:** ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से किशोर न्याय और बाल अधिकारों के बारे में संवाद किया जा सके।

4. **बाल प्रकोष्ठ निरीक्षण:** बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए नियमित निगरानी के साथ बाल संरक्षण प्रकोष्ठों को मजबूत करें।

5. **साइबर प्रकोष्ठ और पुलिस प्रकोष्ठ पहल:** किशोरों से जुड़े साइबर अपराधों को बढ़ाने के लिए विशेष साइबर प्रकोष्ठ स्थापित करें।

6. **गैर सरकारी संगठन पहल:** बाल कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को सरकारी सहयोग से और अधिक पहल गतिविधियाँ करनी चाहिए।

7. **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करें:** ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों को लागू करें जिनका किशोर न्याय पर प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है।

परिणाम विश्लेषण - शोध के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया है कि मध्य प्रदेश को सख्त नियमों और विनियमों की आवश्यकता है। यद्यपि भारत में विभिन्न कानून और अधिनियम लागू हैं और कार्यरत हैं, फिर भी हमें बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में समाज को अच्छी परामर्श और किसी भी अपराध से सुरक्षा के बारे में जागरूकता प्रदान करनी चाहिए। भारत में, कम से कम 69% माता-पिता और बच्चे निरक्षर हैं जिन्हें ऐसे अपराधों की जानकारी नहीं है। हमें बाल-किशोर अपराध परिदृश्यों पर प्रभावी प्रभाव डालने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और समाज से और अधिक पहल करने के लिए संपर्क करना चाहिए। बाल-किशोरों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित नए आँकड़े जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास केवल 2019 तक के आँकड़े हैं। बेहतर विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए हमें 2019 से 2025 तक के आँकड़े चाहिए।

निष्कर्ष - आलोचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में किशोर न्याय प्रणाली का कानूनी आधार मजबूत है, लेकिन कार्यान्वयन चुनौतियों के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित है। सबसे अधिक किशोर अपराधों वाले राज्य के रूप में मध्य प्रदेश की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रणाली को अपने सुधारात्मक और सुरक्षात्मक लक्ष्यों को वास्तव में प्राप्त करने के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित कर्मियों और जिलों में अधिक सुसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

पुनर्वास और जवाबदेही के बीच संतुलन एक केंद्रीय बहस का विषय बना हुआ है। 2015 के संशोधन ने 16-18 वर्ष की आयु के किशोरों पर जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इसने बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि यह पुनर्वास के फोकस को कमजोर करता है, जबकि समर्थकों का मानना है कि यह कुछ अपराधों की गंभीरता को कम करता है। पुनर्वास के प्रयास अक्सर खराब बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी और किशोर गृहों में सीमित संसाधनों के कारण अपर्याप्त होते हैं। यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी से जूझती है, जिसके कारण किशोरों को लंबे समय तक पर्यवेक्षण गृहों में रहना पड़ता है, जिससे किशोरों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मध्य प्रदेश को अपने कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करना चाहिए, बजटीय आवंटन बढ़ाना चाहिए, अधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, समन्वय में सुधार करना चाहिए और केवल दंड के बजाय रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल व्यापक सुधार के माध्यम से ही मध्य प्रदेश अपने किशोर अपराध दर को कम कर सकता है और किशोर न्याय के वास्तविक उद्देश्यों - बच्चों के सुधार और समाज में उनके पुन: एकीकरण - को पूरा कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत में अपराध रिपोर्ट (2017-2019)
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, किशोर अपराध सांख्यिकी पर संसदीय प्रतिक्रिया ।
4. शर्मा, डी. (2022). भारत में किशोर अपराध का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। कानूनी अनुसंधान विकास: एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरीड ई-जर्नल ।
5. विंटरडाइक, जे., एंटोनोपोलोस, जी. ए., और कोराडो, आर. (2016). नॉर्वे के किशोर न्याय मॉडल पर विचार। अपराध निवारण और सामुदायिक सुरक्षा।
6. अग्रवाल, डी. (2018). भारत में किशोर अपराध - नवीनतम रुझान। लोग: अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान जर्नल, आईएसएसएन 2454-5899
7. खंडेलवाल, के. (2020). किशोर न्याय प्रणाली। बर्निश्ड लॉ जर्नल, खंड 1, अंक 3, आईएसएसएन 2582-5534
8. परांजपे, एन.वी. (2012). अपराधशास्त्र और दंडशास्त्र, पीड़ितशास्त्र के साथ। केंद्रीय विधि प्रकाशन, इलाहाबाद।
9. राज, ए. (2024). भारत में किशोर न्याय प्रणाली: सिद्धांतों की असंगति। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल 10. मंध्यान, एस. (2023). भारत में किशोर न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल।
10. कुमार, वी. एट अल. (2024). भारत में किशोर अपराध से जुड़े कारक। सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय समीक्षा।
11. किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एमपीएचसी जबलपुर, सीआरआर-1416-2024 (13 अगस्त,2024) 13. विलियम्स, के.एस. (2012)। अपराध विज्ञान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

****